

## कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

☎ 0151- 2544098

✉ deosecbikaner@gmail.com

### कार्यालय आदेश

श्रीमान निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा/माध्य/ साप्र/ बी-1/कनि. सहा/2013 बैकलॉग/20-21/ दिनांक 20.10.2020 एवं 52-53 दिनांक 22.10.2020 से प्रदत्त निर्देशानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग जयपुर द्वारा लिपिक ग्रेड द्वितीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा -2013 के एससी/एसटी/बैकलॉग एवं दिव्यांगजन के कैरी फोरवर्ड पदों पर वर्ष 2018 की रिजर्व लिस्ट से पिकअप किए गए अभ्यर्थियों को बीकानेर जिला आवंटन कर नियुक्ति एवं पदस्थापन हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप कार्यालय स्तर पर लिपिक ग्रेड-द्वितीय (वर्तमान पदनाम कनिष्ठ सहायक) के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक 27.10.2020 को आयोजित परामर्श शिविर के आधार पर पृष्ठांकित सूची में अंकित अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 के प्रावधानानुसार कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतन श्रृंखला रिवाईज्ड पे मैट्रिक्स लेवल (वेतन लेवल-5) में इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालयों में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार प्रावेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 14600/-रु. (चौदह हजार छः सौ) प्रतिमाह (पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन) पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.08(01) कार्मिक/क-2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी से जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे। उनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा। कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन संबंधी कार्मिक विभाग के अधिसूचना क्रमांक पं. 1(1) कार्मिक/क-2/2016 जयपुर दिनांक 04.12.2019 के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 के अनुसार पात्रता की जांच अवश्य कर लें।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1)डीओपी/ए-11/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रूप के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व दो राजपत्रित अधिकारियों के चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिये जावे।
4. अभ्यर्थी से उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेज की जांच आवश्यक रूप से कर लें।
5. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व विवाह हुआ है, तो तत्संबंधी आशय का 50/- रु के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
6. आपके स्तर पर यह भी जाँच आवश्यक रूप से कर ली जावे कि-
  1. अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी के द्वारा नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिए एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रिमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी क्रिमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उसे कार्यग्रहण नहीं करावे।
  2. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति का नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी को कार्यग्रहण नहीं करावे। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को कार्यग्रहण करने संबंधी कार्यवाही करे।
7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन बोनस आदि देय नहीं होगा।
8. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रावेशन ट्रेनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौति नहीं होगी।
9. परिवीक्षाकाल प्रशिक्षण अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जायेगा।
10. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हे कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 12(9)एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा। वित्त विभाग के आदेश क्रमांक

3



- एफ-12(9)एफडी (रूल्स) जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनेरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।
11. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक प्रशिक्षक योग्यताओं की वैद्यता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता अर्जित की गई है उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता वैद्य व मान्य पाए जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेजों /प्रमाण पत्रों के संबंध में 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लेवें कि यदि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उनका चयन /नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
  12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धुम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनबंधता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रारूप में प्राप्त की जावे। आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व घोषणा पत्र (प्रारूप) प्राप्त किया जावे।
  13. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करें, जिसका आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र पर छाया चित्र चस्पा है। संदेह की स्थिति में कार्यग्रहण नहीं करावें।
  14. एमबीसी के अभ्यर्थियों के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक पं.7(1)कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में पूर्व में स्वीकृत 1 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग को 04 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये है। इस संबंध में एसबीसी याचिका संख्या 3469/2020 अंकित घायल व अन्य बनाम सरकार राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के अंतरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) के अभ्यर्थियों की नियुक्ति छाया पदों के विरुद्ध की जाकर उक्त आदेशों के अध्याधीन रहेगी।
  15. अभ्यर्थी के नाम/उपनाम/विवाह संबंधी शपथ पत्र /विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं दो से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र निर्धारित परफोर्मा में कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 24.02.2011 एवं दिनांक 20.11.2015 की अनुपालना में पूर्ति करावें। गर्भवती महिला अभ्यर्थियों के लिये कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 16.08.2005 का आवश्यकतानुसार अनुसरण किया जावे।
  16. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थियों की सेवा पुस्तिका तैयार कराते समय 10 वी परीक्षा की अंकतालिका के आधार पर नाम, पिता का नाम एवं जन्मतिथि आदि अंकित करें एवं अभ्यर्थी की समस्त शैक्षिक/प्रशिक्षक योग्यता का सेवा पुस्तिका में अंकन किया जावें।
- इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 10.11.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्था प्रधान इन्हें शाला दर्पण के माध्यम से कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें।

(उमा शंकर किराड़ू)  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

क्रमांक:-जिशिअ/मुमाशि/बीका/संस्था-2/फा-36/कनि सहा मर्ती/2013-18/2020/460-62 दिनांक:-27.10.2020  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. श्रीमान विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. श्रीमान शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान उप सचिव कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. श्रीमान सचिव राजस्थान चयन बोर्ड जयपुर।
5. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
6. श्रीमान संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा बीकानेर संभाग बीकानेर।
7. श्रीमान मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर।
8. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .....
9. संबंधित संस्था प्रधान.....।
10. संबंधित अभ्यर्थी.....।
11. रक्षित पत्रावली।








(उमा शंकर किराड़ू)  
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)  
माध्यमिक शिक्षा बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर

कनिष्ठ सहायक पदस्थापन आदेश सं. 01

क्रमांक:-जिशाअ/मुमाशि/बीका/संस्था-2/कनि सहायक भर्ती 2018/फा- 36/2020/460-62

दिनांक:- 27.10.2020








S.No.	Merit_No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	APPLIED_CATEGORRY	वरीयता श्रेणी	DOB	SELECTE_D_CATEGORRY	Address	POSTING PLACE	BLOCK	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	26926	1385026	CHETANA PANWAR	BRUJESH KUMAR	Female	SC	एकल महिला	5-Aug-1996	SC	SECTOR 10 H.NO. 239 MUKTA PRASAD NAGAR, BIKANER 334004 MOB - 9799459482	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL HADAN KOLAYAT (211368), KOLAYAT (08030316707 )(KOLAYAT)	KOLAYAT	
2	27269	2317187	SAROJ MONDOTIYA	BHAGWAN SAHAY MONDOTIYA	Female	SC	एकल महिला	21-Nov-1997	SC	WARD NO. 6 VPO KHATUSHYAM JI, TEH. DANTARAMGARH, SIKAR 332602 MOB- 8949289291	GOVT. SECONDARY SCHOOL LODERA (211490), Shri DUNGARGARH (08030505201 )(DUNGARGARH)	Shri DUNGARGARH	
3	27450	2317426	TINA DAYAMA	BHAGATRAM DAYAMA	Female	SC	एकल महिला	19-Jan-2000	SC	PRATAP NAGAR WARD NO 32 FATEHPUR SHEKHAWATI SIKAR 332301 MOB - 9521862914	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL MAINSAR (211389), NOKHA (08030402903 )(NOKHA)	NOKHA	
4	27224	2261642	SUNITA REGAR	GANGABISHAN	Female	SC	महिला	26-Aug-1989	SC	WARD NO 40 NEAR GOVT SS SCH SHIVBARI BIKANER 334001 MOB- 8094146661	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NATHWANA (211281), LUNKARANSAR (08030203301 )(LUNKARANSAR)	LUNKARANSAR	
5	17842	2043636	NARESH KUMAR MEGHWAL	OM PRAKASH MEGHWAL	Male	SC	पुरुष	10-Dec-1994	SC	BEHIND PIPE FACTORY MP ROAD SARVODAYA BASTI BIKANER 334004 MOB- 9024612580	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DANDI (211530), KHAJUWALA (08030609101 )(KHAJUWALA (SC))	KHAJUWALA	
6	18055	2011257	RAJ KUMAR BOKOLIA	JAGDEESH PRASAD BOKOLIA	Male	SC	पुरुष	10-Feb-1993	SC	WARD NO 9 SURAJGARH, JHUNJHUNU 333029 MOB- 8696999458	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GARABDESAR LUNKARANSAR BIKANER (211300), LUNKARANSAR (08030208601 )(LUNKARANSAR)	LUNKARANSAR	
7	18100	1495229	KAILASH KUMAR	HARI RAM	Male	SC	पुरुष	9-Jul-1992	SC	VILL - CHANDASAR POST - GAJNER THE. KOLAYAT BIKANER 334301 MOB- 8955679186	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KANKRALA (211531), KHAJUWALA (08030609303 )(KHAJUWALA (SC))	KHAJUWALA	



कनिष्ठ सहायक पदस्थापन आदेश सं. 02

क्रमांक-जि०शिव/मुसाशि/बीका/संस्था-2/कनि सहायक मर्ती 2018/फा- 36/2020/460-62

दिनांक- 27.10.2020

S.No.	Merit No	Roll Number	Name	Father Name	GENDER	APPLIED CATEGORY	वर्गीयता श्रेणी	DOB	SELECTED CATEGORY	Address	POSTING PLACE	BLOCK	PHOTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	18204	2043406	NIRMAL RAJ PANWAR	BHINIV RAJ PANWAR	Male	SC	पुरुष	12-May-1998	SC	STREET NO 5 NEAR RAM DEV II TEMPLE RAMPURA BASTI BIKANER 334004 MOB- 8094216789	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL LUNKHA KHAJWALA (211529), KHAJWALA (08030608101) (KHAJWALA (SC))	KHAJWALA	
9	18371	1398438	AJAY KUMAR MEGHWAL	OMPRAKASH	Male	SC	पुरुष	5-Jul-2000	SC	VILL- GARIYALA TEH. KOLAYAT BIKANER 334303 MOB- 9001046248	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAWALA (211344), KOLAYAT (08030307401) (KOLAYAT)	KOLAYAT	
10	18375	1799144	ROHITASH KAJALA	MOHAN LAL KAJALA	Male	SC	पुरुष	3-Jul-1992	SC	VPO- SIMARLA JAGEER VIA MAHEROLI TEH. SHRIMADHOPUR SIKAR 332603 MOB- 9829152025	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGSEU (224939), NOKHA (08030403101) (NOKHA)	NOKHA	
11	18723	1407433	AMIT	RAM KUMAR NAYAK	Male	SC	पुरुष	19-Jan-1995	SC	VPO- MAMBROLI VILL. MAKHRANA NAGOUR 341520 MOB- 7023902258	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BANDHARA (211378), PANCHOO (08030700803) (NOKHA)	PANCHOO	
12	18844	2042603	OM PRAKASH	BHANI RAM	Male	SC	पुरुष	30-Jun-1985	SC	NEAR TUBEWELL NO 1 TILAK NAGAR BIKANER 334003 MOB- 9214904656	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL RAJASAR KARNISAR (211283), LUNKARANSAR (08030203901) (LUNKARANSAR)	LUNKARANSAR	
13	19002	2346198	VINOD KUMAR	LEELA RAM	Male	SC	पुरुष	15-Jun-1992	SC	RAIGARAN MOHALLA, BHORKI TEH. UDAIPURWATI JHUNIHUNU 333032 MOB- 9929053039	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BADERAN (211290), LUNKARANSAR (08030206501) (LUNKARANSAR)	LUNKARANSAR	
14	28007	2257625	BAJRANG LAL PRAJAPAT	RATAN LAL	Male	OBC	दिव्यांग	6-Jan-1990	OBC	BEHIND HANUMAN MANDIR, PUGAL ROAD, BANGLANAGAR, BIKANER 334004 MOB - 9636288817	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PARVA (211382), PANCHOO (08030704101) (NOKHA)	PANCHOO	

(उमा शंकर किराड)

जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)

माध्यमिक शिक्षा बीकानेर